

3/यो0-संक०-07/2019/..... 42

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2019-20)

प्रेषक,

विजय रंजन,

संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -..... 07.08.2019..

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में गैर योजनान्तर्गत अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत अंतर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अनुग्रह अनुदान की राशि 469.00 लाख (चार करोड़ उनहत्तर लाख) रु0 मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छुआ-छुत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत कुल 231.00 लाख (दो करोड़ एकतीस लाख) रु0 मात्र के व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या 28 दिनांक 10.04.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी। पुनः वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 732/वि० दिनांक 31.07.2019 के आलोक में शेष 469.00 लाख (चार करोड़ उनहत्तर लाख) रु0 मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	योजना उदव्यय	पूर्व में कुल योजना उदव्यय के 33% स्वीकृत राशि	वर्तमान/शेष वर्ष के लिए कुल योजना उदव्यय का 67% स्वीकृत राशि
1	अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	51-2235028000002	0002-37-01	700.00	231.00	469.00
कुल 469.00 लाख (चार करोड़ उनहत्तर लाख) मात्र					231.00	469.00

रु0 लाख में

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019, 732/वि0 दिनांक 31.07.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-स0क0-07/2019 के पत्राचार पृ0-07/टि0 पर दिनांक-05.08.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि राशि के निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-स0क0-07/2019 के टिप्पणी पृ0-08/टि0 पर दिनांक-06.08.2019 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

जापांक- : सं0-3/यो0-स0क0-07/2019/.....42.....

पटना-15, दिनांक- 07-08-2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

जापांक- : सं0-3/यो0-स0क0-07/2019/.....42.....

पटना-15, दिनांक- 07-08-2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),